अध्याय 4

भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 सम्मिलन प्रक्रिया

4.1.1 मार्च 2010 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा घोषित रोड़-मैप के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ सम्मलित किये गए। भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस), वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2011 के आरंभ से कंपनियों की निदिष्ट श्रेणी के लिए लागू किये जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमसीए, अधिसूचित रोड़- मैप के अनुसार इंड एएस को लागू करने की तिथि को अधिसूचित नहीं कर सकी। इंड एएस को लागू करने में विलंबों की चर्चा 2014 की रिपोर्ट सं. 2 के अध्याय 4 में की गई थी।

4.1.2 तत्पश्चात, फरवरी 2014 में वित्त मंत्री के बजट विवरण के अनुसार, एमसीए ने विभिन्न पणधारकों और नियंत्रकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, 2 जनवरी 2015 को एक प्रैस नोट जारी किया जिसमें आईएफआरएस सम्मिलित इंड एएस को लागू करने के लिए बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, (एनबीएफसी) के अलावा कंपनियों के लिए एक संशोधित रोड़-मैप बनाया गया। इंड एएस निम्नलखित कंपनियों पर लागू होगी:

(i) 31 मार्च 2015 की समयावधि या उसके बाद की तुलना में, 1 अप्रैल 2015 को आरंभ होने वाली अवधि या बाद की लेखांकन समयावधि हेतु वित्तीय विवरणों के लिए **स्वैच्छिक आधार,** पर;

(ii) निम्नलिखित कंपनियों के लिए 31 मार्च 2016 की समयावधि या उसके बाद की अपेक्षा 1 अप्रैल 2016 को आरंभ होने वाली अवधि या बाद हेतु **अनिवार्य आधार पर**:

(क) कंपनियां, जिनकी इक्विटी और/या ऋण प्रतिभूतियां/सूचीबद्ध की गई हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण की प्रक्रिया में है और ₹ 500 करोड़ या अधिक के निवल मूल्य वाली हैं।

(ख) उपर्युक्त (ii) क में बताई गई कंपनियों के अतिरिक्त, ₹ 500 करोड़ या अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियां।

(ग) उपर्युक्त (ii) (क) और (ii) (ख) में बताई गई कंपनियों की धारित, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

(iii) निम्नलिखित विशिष्ट कंपनियों हेतु 31 मार्च, 2017 को समाप्त या उसके बाद की समयावधि की अपेक्षा 1 अप्रैल 2017 को आरंभ होने वाली समयावधि या बाद के लेखांकन हेतु:

(क) कंपनियां, जिनकी इक्विटी और/या ऋण प्रतिभूतियां/सूचीबद्ध की गई हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण की प्रक्रिया में है और ₹ 500 करोड़ से कम के निवल मूल्य वाली हैं।

(ख) उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) और पैराग्राफ (iii) (क) के अंतर्गत आने वाली वे कंपनियां जो ₹ 250 करोड़ या अधिक परंतु ₹ 500 करोड़ से कम के निवल मूल्य कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (iii) (क) और (iii) (ख) में बताई गई कंपनियों की धारित, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

हालांकि, कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्धता की प्रक्रिया में हैं, वे इंड एएस को लागू करने हेतु अपेक्षित नहीं होगी। ऐसी कंपनियां मौजूदा लेखांकन मानकों का ही अनुपालन करते रहेंगे जब तक कि वे किसी अन्य का चयन न करें।

(iv) यदि कभी कोई कंपनी इंड एएस का पालन करना चुनती है, तो आगामी वित्तीय विवरणों हेतु इंड एएस का पालन करना अपेक्षित होगा।

(v) उपर्युक्त रोड़-मैप के अंतर्गत न आने वाली कंपनियों को कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट मौजूदा लेखांकन मानकों का पालन करते रहना होगा।

4.1.3 इंड एएस की अधिसूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों के साथ वित्तीय विवरणों का अनुपालन किया जाएगा और कंपनियों की श्रेणी या श्रेणियों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रपत्र या प्रपत्रों में होगा। इससे इंड एएस का कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, एमसीए ने दिनांक 16 फरवरी 2015 की अपनी अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 को अधिसूचित कर दिया और इसमें विनिर्दिष्ट 39 एंड एएस उपर्युक्त रोड़-मैप के अनुसार लागू कर दिये। इंड एएस को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ विचार-विमर्श कर एमसीए द्वारा तैयार किया गया।

4.2 सम्मिलन में चुनौतियां

4.2.1 चूंकि इंड एएस आवश्यक रूप से परिसम्पत्तियों और देयताओं के सही मूल्य आकलन पर आधारित है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित मानकों का सुचारू और सुसंगत पारवहन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में जनवरी 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ड्राफ्ट आय संगणना और प्रकटन मानकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

4.2.2 बैंकों और बीमा क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और चिंताओं के मद्देनजर इंड एएस के परिवर्तन हेतु प्रस्तावित रोड़-मैप से इन दो क्षेत्रों की कंपनियों को बाहर रखा गया।

4.2.3 अनुपालन की लागत, क्षमता संवर्धन, मानकों (एक उन निकायों हेतु जो परिवर्तन करते हैं और एक उनके लिए जो नहीं करते) के दो सेटों के प्रबन्ध, और अपवादों एवं 'कार्यआऊटस' के सम्मिलन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को एमसीए, डीपीई और आईसीएआई द्वारा अच्छे समन्वित तंत्र के द्वारा देखा जाना आवश्यक होगा।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।